



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

UTTARAKHAND AYURVED UNIVERSITY

(उत्तराखण्ड सरकार का स्वायत्तशासी निकाय; विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त, भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

(An Autonomous body of Uttarakhand Government; registered u/s 2(f) of UGC Act, 1956; Member of AIU)

रेलवे रोड, हरिवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड) - 248001 Railway Road, Harrawala, Dehradun (UK) - 248001

Phone : +91-135-2685993; Fax : +91-135-2685124; Website : www.uau.ac.in

संख्या : २३५१ / उ०आ०वि० / सम्बद्धता / 2025-26

दिनांक : 11/12/2025

अस्थाई सम्बद्धता कार्यालय आदेश

शैक्षणिक सत्र 2025-26

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में उल्लिखित प्राविधानों एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (NCISM), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-3-4/MARB/2025-Ay.(1) दिनांक-03.11.2025 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के गुरुकुल परिसर, हरिद्वार में निम्नलिखित तालिका में वर्णित अवधि के लिये शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	संस्थान/महाविद्यालय का नाम	संचालित पाठ्यक्रम का नाम	संस्थान में प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
01	02	03	04	05
1	गुरुकुल परिसर, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हरिद्वार।	बी०ए०एम०एस० एम०डी०/एम०एस० (आयुर्वेद) विषय:- पंचकर्म-04 कायचिकित्सा-04 शल्य तंत्र-03 शालाक्य तंत्र-02 कौमारभृत्य-02	सीट-75 सीट-15	शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु अस्थाई सम्बद्धता

2- परिसर को विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।

3- परिसर को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (NCISM), भारत सरकार, नई दिल्ली के मानकों के अनुसार अर्ह फैकल्टी की नियुक्ति/सेवानिवृत्ति/पद त्याग की सूचना की पृष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय को दी जानी होगी।

4- छात्रों से उत्तराखण्ड शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों को ही लिया जायेगा।

6- भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (NCISM), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दी गयी अनुमति में जो कमियां/शर्त निर्धारित की जाती है तो परिसर द्वारा उक्त का पालन किया जाना आवश्यक होगा।

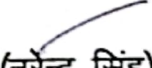
उक्त आदेश माननीय कुलपति महोदय की सहमति/अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है।

भवदीय,


11/12/25
(नरेन्द्र सिंह)
कुलसचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव/अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. सचिव, श्री राज्यपाल/माननीय कुलाधिपति महोदय, राजभवन, देहरादून।
4. निजी सचिव, माननीय कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
5. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. मुख्य वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हरवाला, देहरादून।
8. परिसर निदेशक, आयुर्वेद संकाय, मुख्य परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।


(नरेन्द्र सिंह)
कुलसचिव।